भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 29

01.12.2025 को उत्तर के लिए

परमाणु खनिज खनन को छूट

29. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. :
श्री बापी हलदर :
श्री तमिलसेल्वन थंगा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों और जनता के परामर्श के बिना परमाणु खनिज खनन को छूट देने की अधिसूचना जारी की है, जिसके परिणामस्वरूप यह सहकारी संघवाद की भावना और हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत होगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से 12 सितंबर, 2025 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें परमाणु खनिज खनन को जनता के परामर्श से छूट देने का विरोध किया गया है और प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने का आग्रह किया गया है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों पर संसद और राज्य विधान सभाओं में राज्यों और जनता के परामर्श से पारदर्शी तरीके से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त पत्र पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार को ज्ञात है कि कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श की छूट, वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का उल्लंघन करती है जिसके अनुसार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया में मूलभूत संशोधन कार्यालय ज्ञापन जैसे अधीनस्थ विधान के माध्यम से नहीं किए जा सकते?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2025 को "महत्वपूर्ण/रणनीतिक और परमाणु खनिजों के खनन से संबन्धित परियोजनाओं की फास्ट ट्रैकिंग" पर एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है,जिसमें संबंधित परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना,2006 के तहत सार्वजनिक परामर्श अनिवार्यताओं से मुक्त किया गया है। यह कार्यालय ज्ञापन ई आई ए अधिसूचना की धारा 7(III) (i) (च) के अंतर्गत मौजूदा उपबंधों के अनुसार जारी किया गया था, जो राष्ट्री प्रति रक्षा, सुरक्षा या अन्य रणनीतिक महत्व के बिन्दूओं से संबंधित परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट

दिलाता है, क्योंकि भारत की ऊर्जा संक्रमण, रक्षा तैयारियों, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए परमाणु खनिजों को महत्वपूर्ण/रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय में दिनांक 12 सितंबर,2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ था,जिसमें तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय के दिनांक 08.09.2025 को कार्यालय ज्ञापन को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र की मंत्रालय में विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और तदनुसार,मंत्रालय द्वारा प्रति राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक पहलुओं से संबंधित मामले की पृष्ठभूमि और इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक परामर्श से छूट के लिए ईआईए अधिसूचना में पहले से मौजूद प्रावधान की विस्तृत व्याख्या की गई । आगे यह भी स्पष्ट किया गया कि रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी कारणों से यह छूट पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी मुद्दों से कोई समझौता नहीं करेगी,जिन्हें वर्तमान ईआईए प्रणाली के माध्यम से,जिसमें ईआईए,पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और पर्यावरणीय मंजूरी के बाद निगरानी करना शामिल है, उसे जारी रखा जाएगा।

(च) इस प्रक्रिया में ईआईए अधिसूचना में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ईआईए अधिसूचना, 2006 में पहले से ही ईआईए अधिसूचना के खंड 7(III)(i) (च) में ऐसा प्रावधान मौजूद है जो राष्ट्रीय प्रति रक्षा और सुरक्षा से संबंधित या अन्य रणनीतिक महत्व के बिन्दूओं वाली परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से मुक्त करता है। तदनुसार, दिनांक 08.09.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन उपरोक्त उल्लिखित उपबंधों के अनुसार ईआईए अधिसूचना,2006 के संशोधित रूप के संदर्भ में जारी किया गया है।

*****